हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
भौती बनाम मोना प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट 15.07.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित खसरा न0 41/0.11,46/0.11,54/0.13कुल किता 3 रकबा 0.35 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ प्रार्थीया कि कार्यकाश्त उपयोग–उपभोग फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, लाने, ले जाने, आदि में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करें ना प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 03.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण ,वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी को आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन बेदखल नही करने व आमद–रफत में मजाहमत् नही करे। साथ मे अप्रार्थीगणो को नोटिस से तलब भी किया जावे कि उन्हे इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 03.09.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) 3/9/21 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 11/10/21 को पेश हो [signature] S.D.O. 11/2/22 PGJCS से पत्रावली आज पेश। वकील वादी व प्रति० उप० वास्ते जवाब अप्रार्थी दि० 10/3/22 को पेश हो। [signature] SDO	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ...
	5/7 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2/7/24 को पेश हो। रीडर	
	03/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/7/24 को पेश हो। M.O.S रीडर	
	25.07.24 पत्रावली पेश। वकुलाय उप०। वास्ते बहस दिनांक 30.08.24 को पेश हो। SDO	
	30/8/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो। रीडर	
	20/11/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो। रीडर	
	16/12/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 19/2/25 को पेश हो S.D.O.	
	19/2/25 पत्रावली पेश। वकु० उप०। बहस वकुलाय की सुनी गई। बाद बहस पर मनन किया गया। वकुलाय की सहमती पर माननीय न्यायालय के पूर्व आदेश दि० 15/7/21 को दाखा टाफैसला स्थाई किया जाता है। यह आदेश उभय पक्षकारान पर लागू होगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर कुलवाद सलग्न हो। SDO	